FORM- A

जिला– दरभंगा, (बिहार)
न्यायालय –अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम
बिरौल।

पीठासीन पदाधिकारी –विजय कुमार मिश्रा,
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम
बिरौल, दरभंग।

निर्णय की तिथिः– 10 जून, 2026
जी0 आर0 संख्या–21119/2001
सी0आई0एस0 संख्या–21119/2001

प्राथमिकी संख्या–जमालपुर–09/2001, दिनांक–11.03.2001
धाराः–147, 148, 149, 341, 323, 448, 347, 379, 504 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट

संज्ञान अंतर्गत धाराः– 147, 148, 149, 341, 504, 323, 506, 452 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट

आरोप गठन अंतर्गत धाराः– 147, 148/149, 506/149, 452/149, 323/149, 341/149, 504/149 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट

सूचक	द्वारा ललित ठाकुर
अभियोजन की ओर से एस.डी.पी.ओ.	श्री अजय झा
अभियुक्त	1. दयानंद ठाकुर, पिता– बेचु ठाकुर, उम्र–60 वर्ष 2. खगन ठाकुर, पिता– बेचु ठाकुर, उम्र– 80 वर्ष 3. भोला ठाकुर, पिता– जनार्दन ठाकुर, उम्र– 72 वर्ष सभी साकिन– गनौनी, थाना–जमालपुर, जिला–दरभंगा
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री शशि कांत राय

FORM- B

अपराध की तिथि	09.08.2001
प्राथमिकी की तिथि	11.03.2001
पूरक आरोप पत्र की तिथि	20.09.2002
संज्ञान की तिथि	21.01.2003
आरोप गठन की तिथि	07.06.2006
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	10.08.2006
निर्णय पर नियत करने की तिथि	10.06.2026
निर्णय की तिथि	10.06.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई, यदि है।	

लगातार.....

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत की तिथि	धारा में आरोप गठन	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षण के दौरान हिरासत में रहने की अवधि
ए– 01	दयानंद ठाकुर	–	–	147, 148/149, 506/149, 452/149, 323/149, 341/149, 504/149 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट	दोषमुक्त		
ए– 02	खगन ठाकुर	–	–	147, 148/149, 506/149, 452/149, 323/149, 341/149, 504/149 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट	दोषमुक्त		
ए– 03	भोला ठाकुर	–	–	147, 148/149, 506/149, 452/149, 323/149, 341/149, 504/149 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट	दोषमुक्त		

FORM- C

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क. अभियोजन

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
साक्षी संख्या 1	ललित यादव	अन्य साक्षी
साक्षी संख्या 2	सूर्यनारायण मंडल	अन्य साक्षी

लगातार.....

साक्षी संख्या 3	ललित ठाकुर	सूचक साक्षी
साक्षी संख्या 4	लक्ष्मेश्वर दास उर्फ दुखी दास	अन्य साक्षी

ख. बचाव पक्ष

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

ग. न्यायालय साक्षी

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क. अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श	विवरण
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

ख. बचाव पक्ष

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय द्वारा प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

घ. वस्तु प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

निर्णय

लगातार.....

1. इस वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्त दयानंद ठाकुर, खगन ठाकुर, भोला ठाकुर का विचारण धारा 147, 148, 149, 341, 504, 323, 506, 452 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत किया गया।

2. अभियोजन कथानक सूचक ललित ठाकुर संक्षेप में के लिखित बयान पर यह है कि सूचक के आंगन में लाठी–डंडा और अवैध हथियार से लैस होकर मुदालहगण आये और सूचक के साथ मारपीट किया एवं थ्रीनट सटाकर सदा कागज पर हस्ताक्षर ले लिया और सूचक डर से सादा कागज पर हस्ताक्षर कर दिया और सभी मुदालहगण जाते समय सूचक के घर से सूटकेस ले लिया जिसमें दो भी सोना था जिसका कीमत लगभग दस हजार रूपया एवं पांच हजार का कपडा लेकर चला गया एवं जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए थ्रीनट से फायरिंग करते चला गया।

3. सूचक के लिखित बयान के आधार पर जमालपुर थाना कांड संख्या–09/2001, दिनांक–11.03.2001 दयानंद ठाकुर एवं अन्य दो के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 448, 347, 379, 504 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधान के उपरांत पूरक आरोप पत्र संख्या–43/2002, दिनांक–20.09.2002 को उपरोक्त मुदालह दयानंद ठाकुर, खगन ठाकुर, भोला ठाकुर के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 504, 323, 506, 452 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत समर्पित किया गया। जिसके आधार पर तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक–21.01.2003 को मामले का संज्ञान अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 504, 323, 506, 452 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट में लिया गया।

4. उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–22.05.2006 को धारा 207 भा.द.वि. के अंतर्गत उनके अधिवक्ता को पुलिस प्रपत्र प्राप्त कराया गया तथा उपरोक्त अभियुक्त को धारा 147, 148/149, 506/149, 452/149, 323/149, 341/149, 504/149 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त द्वारा आरोपों से इंकार किया और वाद विचारण का दावा किया।

5. दिनांक–13.08.2024 को उपरोक्त अभियुक्त का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत बयान अंकित किया गया। जिसमें उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया तथा विचारण की मांग की।

6. मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अपने मामले को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

मन्तव्य

7. अभियोजन के द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल 4 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया। जिसके बाद अभियोजन साक्ष्य दिनांक–08.02.2024 को बंद कर दिया गया तथा अभियुक्त का बयान धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत दिनांक 13.08.2024 को लिया गया। तत्पश्चात वाद को सफाई साक्ष्य हेतु नियत किया गया।

8. अभियोजन साक्षी संख्या 1. ललित यादव द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने हमसे पूछताछ नहीं थे। अभियोजन के कथन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कहा था कि दिनांक 09.03.2001 को शाम 06 बजे भोला ठाकुर, दयानंद ठाकुर एवं खगन ठाकुर, विजय ठाकुर, राम किशोर ठाकुर ये सभी ललित

लगातार.....

ठाकुर के घर पर आकर गाली गलौज व मारपीट किये। मैं गलत गवाही दे रहा हूँ। इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि न्यायालय से सम्मन मिलने पर मैं गवाही देने आया हूँ।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 2. सूर्य नारायण मंडल द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि कि मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष मेरा कोई बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के कथन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कहा था कि दिनांक 09.03.2001 को शाम 06 बजे भोला ठाकुर, दयानंद ठाकुर एवं खगन ठाकुर, विजय ठाकुर, राम किशोर ठाकुर ये सभी ललित ठाकुर के घर पर आकर गाली गलौज व मारपीट किये एवं बंदूक का भय दिखाकर सादा कागज पर दस्तखत करा लिए।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 3. ललित ठाकुर द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि कि यह केस मैंने भोला ठाकुर, खगन ठाकुर, कमल ठाकुर, लालन ठाकुर, दयानंद ठाकुर, राम किशोर कुल सात लोगों पर किया है। दिनांक 09.03.2001 की घटना है। सात बजे शाम की घटना है। मेरे आंगन में घ ाटना घटी। भोला ठाकुर तथा अन्य मुदालह लोग लाठी, भाला, बडी नट लेकर मेरे आंगन में आए। भोला ठाकुर ने कहा कि पकडों साले को तो डर से मैं अपने घर में भाग कर चला गया। तब दयानंद ठाकुर और लालन ठाकुर मेरे छाती में थ्रीनट सटा दिया और कहा कि सादा स्टाम्प पेपर पर साइन कर गमछा लगाकर ऐठने लगा। मैं डर से स्टाम्प पेपपर पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर मुदालह लोग घ ार में घुस कर सोना का चैन, साडी, साया ब्लाउज व अन्य सामान जो पेटी में रखा था वह सब ले लिया। जाते वक्त प्लास्टिक का कुर्सी, चापाकल पर थाली लोटा था उसे ले लिया। जाते वक्त बोल कि साला कि कही बताओगे तो जाने से मार देंगे। लालन ठाकुर गेट पर जाकर फायरिंग किया। घ ाटना के बारे में थाने पर लिखित आवेदन दिया जिस पर मैंने अपना हस्ताक्षर किया था। सभी मुदालह को मुदालो को पहचानता हूँ। आज न्यायालय में भोला ठाकुर व खगन ठाकुर न्यायालय में उपस्थित है बाकी को देख कर पहचान लूंगा। इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मैं मैट्रिक तक पढा हॅ। मेरी मैट्रिक का रिजल्ट आया था उसका दिनांक, माह, साल नहीं बता सकता हूँ। घटना के दिन तीन चार बजे सुबह मैं जगा था। सोकर उठने और घटना के वकत तक बहुत से लोगों से मुलाकात हुई थी। बासो सदा, अरविन्द यादव, बोतल यादव, रामाकांत सिंह आदि से मिला। रास्ता में मुलाकात हुई थी। मेरे आंगन में सभी मुदालह एक साथ घुसे थे। सबसे पहले भोला ठाकुर घर में घ ुसे थे। सबसे अंत में खगन ठाकुर घुसे थे। घटनास्थल के उत्तर में किशोरी यादव का घर दक्षिण में रास्ता पूर्व में पीताम्बर ठाकुर का घर तथा पश्चिम में उदय चंद्र ठाकुर का घर है। स्आम्प पेपर पर एक लाख लिखा था जिसे पढ नहीं सका था। कितना का स्टाम्प था यह भी नहीं देख पाया था। एक हाथ से छोटा था स्टाम्प पेपर की लंबाई। थ्रीनट में कितना नट लगा था नहीं बता सकता। एक हाथ से कम लम्बा था थ्री नट की लंबाई। मेरे घर के लोग ये स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर के समय। स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए लालन व दयानंद ठाकुर ने कहा था। डर के मारे मैं हस्ताक्षर दिया था। कोई लोग छुड़ाने नहीं आये थे। आंगन की घटना थी। जब मुदालहगण आंगन से निकल गए तब मैं घर से बाहर निकला। पडोसी लोग आए थे जब मुदालह लोग चले गए थे तब। जाते वक्त थ्रीनट से मुदालह फायर किये थे। फायर के वक्त मैं आंगन के बरामदा मे नीचे था। लालन ठाकुर ने फायर किया था। ऐसी बात नहीं है कि जैसा मैंने बयान दिया है वैसी कोई घटना नहीं घटी

लगातार.....

है और मैंने गलत गवाही है। खगन ठाकुर घटना में सबसे अंतिम में आया था। घटना होने में दस मिनट बाद खगन ठाकुर आए थे। खगन ठाकुर से सुलह नहीं किया है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 4. लक्ष्मेश्वर दास उर्फ दुखी दास द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है। घटनास्थल के पास दुकान नहीं है। अभियोजन के कथन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। ऐसी बात नहीं है कि घटना आपके सामने नहीं हुआ था। आप देखें की दिनांक 09.0.2001 को शाम के 07 बजे दयानंद ठाकुर वादी के दरवाजे पर आकर गाली गलौज किया। बाद में अन्य मुदालह आये और गाली गलौज किये। मुदालहगण के मेल में अकार झूठी गवाही दे रहे है। सभी अभियुक्तों को पहचानते है और आज ललन और भोला उपस्थिति है एवं इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि कोर्ट से वारंट पर गवाही देने आया हूँ एवं मुदालह ग्रामीण है इसलिए पहचानते है।

12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल चार साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें साक्षी संख्या 1, 2 एवं 4 को न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया केवल सूचक के साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। यह बात अलग है कि अनुसंधानकर्ता को साक्षी के रूप में न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत करने में असफल रहा है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अभियुक्त सजा का पात्र नहीं है। अभियुक्तों को उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए जिससे कि समाज में भय व्याप्त हो कि कोई भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में अभियोजन असफल रहा है।

13. अभियोजन की ओर से विद्वान एस.डी.पी.ओ. अपने बहस में कहा है कि अभियोजन द्वारा कुल 4 साक्षियों का साक्ष्य शपथ पर कराया गया है। यह बात अलग है कि अनुसंधानकर्ता को साक्षी के रूप में न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत करने में असफल रहा है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अभियुक्त सजा का पात्र नहीं है। अभियुक्तों को उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए जिससे कि समाज में भय व्याप्त हो कि कोई भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में अभियोजन सफल रहा है।

14. उभय पक्षों का बहस सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि इस वाद में अभियोजन के द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल 4 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया जिसमें एक सूचक ललित ठाकुर ने मामले का समर्थन किया गया। तीन अभियोजन साक्षियों को साक्ष्य के दौरान न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। ऐसे में पक्षद्रोही साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता तथा अभियोजन अपने मामले को साबित करने में असफल रहा है। जिसके कारण संदेह का लाभ अभियुक्तों को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह वाद लगभग 25 वर्ष पुराना है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को दोषसिद्धि के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः सभी अभियुक्तो को भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 149, 341, 504, 323, 506, 452 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट भा.द.वि. के तहत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों बंधपत्र

लगातार.....

के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में नियमानुसार जमा करें।

लेखापित

(विजय कुमार मिश्रा)
अ. मु. न्या. दण्डा.–प्रथम
बिरौल
दिनांक–10.06.2026

लगातार.....

उपस्थितः विजय कुमार मिश्रा
अ.मु.न्या.दंडा.–प्रथम, बिरौल
जी.आर. संख्या–21119/2001
सी.आई.एस संख्या– 21119/2001
थाना कांड संख्या– जमालपुर (09/2001)
ललित ठाकुर बनाम दयानंद ठाकुर
निर्णय की तिथि– 10.06.2026

लगातार.....